

सत्यमेव जयते

भारत का राजपत्र The Gazette of India

सी.जी.-डी.एल.-अ.-08012020-215215

CG-DL-E-08012020-215215

असाधारण

EXTRAORDINARY

भाग II—खण्ड 3—उप-खण्ड (ii)

PART II—Section 3—Sub-section (ii)

प्राधिकार से प्रकाशित

PUBLISHED BY AUTHORITY

सं. 87]

नई दिल्ली, सोमवार, जनवरी 6, 2020/पौष 16, 1941

No. 87]

NEW DELHI, MONDAY, JANUARY 6, 2020/PAUSHA 16, 1941

सड़क परिवहन और राजमार्ग मंत्रालय

अधिसूचना

नई दिल्ली, 6 जनवरी, 2020

का.आ. 95(अ).—केन्द्रीय सरकार, राष्ट्रीय राजमार्ग अधिनियम, 1956 (1956 का 48) (जिसे इसमें इसके पश्चात् उक्त अधिनियम कहा गया है) की धारा 3क की उप-धारा (1) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, यह समाधान हो जाने के पश्चात् कि राजस्थान राज्य के पाली जिले में राष्ट्रीय राजमार्ग 158 (रास - ब्यावर - आसीन्द - माण्डल खण्ड) के कि.मी. 0.00 से कि.मी. 19.400 तक के भू-खण्ड के निर्माण (चौड़ीकरण/पेव्ड शोल्डर सहित 2-लेन/4-लेन का बनाना आदि), अनुरक्षण, प्रबन्धन और प्रचालन के लोक प्रयोजन के लिए वह भूमि अपेक्षित है जिसका संक्षिप्त वर्णन नीचे अनुसूची में दिया गया है, ऐसी भूमि का अर्जन करने के अपने आशय की घोषणा करती है।

कोई भी व्यक्ति, जो उक्त भूमि में हितबद्ध है, उक्त अधिनियम की धारा 3ग की उप-धारा (1) के अधीन पूर्वोक्त प्रयोजन के लिए ऐसी भूमि के उपयोग पर राजपत्र में इस अधिसूचना के प्रकाशन की तारीख से इक्कीस दिन के भीतर अपनी आपत्ति प्रकट कर सकेगा।

ऐसी प्रत्येक आपत्ति सक्षम प्राधिकारी, अर्थात् उप खण्ड अधिकारी जैतारण को लिखित रूप में प्रस्तुत की जाएगी और उसमें उसके आधार अधिकथित किए जाएंगे और सक्षम प्राधिकारी, आपत्तिकर्ता को व्यक्तिगत रूप में या किसी विधिक पेशेवर द्वारा सुने जाने का अवसर देगा और ऐसी आपत्तियों की सुनवाई के पश्चात् तथा ऐसी और जाँच

करने के पश्चात्, यदि कोई हो, जिसे सक्षम प्राधिकारी आवश्यक समझे, आदेश द्वारा या तो आपत्तियों को अनुज्ञात कर सकेगा या अननुज्ञात कर सकेगा।

उक्त अधिनियम की धारा 3ग की उप-धारा (2) के अधीन सक्षम प्राधिकारी द्वारा किया गया कोई भी आदेश अंतिम होगा।

इस अधिसूचना के अंतर्गत आने वाली भूमि के रेखांक और अन्य व्यौरे सक्षम प्राधिकारी के उक्त कार्यालय में उपलब्ध हैं और उनका हितबद्ध व्यक्तियों द्वारा निरीक्षण किया जा सकता है।

अनुसूची

राजस्थान राज्य के पाली जिले में राष्ट्रीय राजमार्ग 158 (रास-ब्यावर-आसीन्द-माण्डल खण्ड) के कि.मी. 0.00 से कि.मी. 19.400 तक के भू-खण्ड के निर्माण के लिए अर्जन की जाने वाली संरचना रहित अथवा संरचना सहित भूमि का संक्षिप्त विवरण।

राज्य का नाम: राजस्थान			जिले का नाम: पाली		
क्रमिक संख्या	सर्वेक्षण संख्या	भूमि का प्रकार	भूमि की प्रकृति	भूमि का क्षेत्रफल (स्थानीय इकाई)	भूमि का क्षेत्रफल (हेक्टेयर)
तालुक का नाम: जैतारण					
गांव का नाम: बगतपुरा					
1	2365	निजी	बारानी अब्बल	0.0749000(हेक्टेयर)	0.0749000
2	2365/1	सरकारी	गैर मुं सड़क	0.1632000(हेक्टेयर)	0.1632000
3	2366/2	निजी	बारानी अब्बल	0.1188000(हेक्टेयर)	0.1188000
4	2367	निजी	बारानी दोयम	0.0769000(हेक्टेयर)	0.0769000
5	2367 /2	सरकारी	गै. मुं सड़क	0.0808000(हेक्टेयर)	0.0808000
6	2371	निजी	बारानी दोयम	0.0462000(हेक्टेयर)	0.0462000
7	2371 / 1	सरकारी	गै.मु.	0.0044000(हेक्टेयर)	0.0044000
8	2371 / 3	सरकारी	गै.मु.सड़क	0.0788000(हेक्टेयर)	0.0788000
9	2372 / 1	सरकारी	गै.मु.सड़क	0.0756000(हेक्टेयर)	0.0756000
10	2372 / 2	सरकारी	गै.मु.	0.0067000(हेक्टेयर)	0.0067000

11	2424	सरकारी	गै.मु.भाखर	0.4475000(हेक्टेयर)	0.4475000
12	2449	सरकारी	गे.मु.गोचर	0.2853000(हेक्टेयर)	0.2853000
13	2451	सरकारी	गै.मु.आबादी	0.0480000(हेक्टेयर)	0.0480000
14	2452	सरकारी	गै.मु.काकर	0.0704000(हेक्टेयर)	0.0704000
15	2464	निजी	चाही सोयम	0.0013000(हेक्टेयर)	0.0013000
16	2466	निजी	बारानी अब्बल	0.0923000(हेक्टेयर)	0.0923000
17	2587	सरकारी	गै.मु.गुआ	0.1827000(हेक्टेयर)	0.1827000
गांव का नाम: रास					
1	1557	निजी	बारानी अब्बल	0.0422000(हेक्टेयर)	0.0422000
2	1610	निजी	चाहि प्रथम	0.2068000(हेक्टेयर)	0.2068000
3	1611	निजी	चाही प्रथम	0.1050000(हेक्टेयर)	0.1050000
कुल				2.2078	2.2078

[फा. सं. RW/NH/12012/11/2017/PS-4/RJ/3A7]

राजेश गुप्ता, उप सचिव

MINISTRY OF ROAD TRANSPORT AND HIGHWAYS**NOTIFICATION**

New Delhi, the 6th January, 2020

S.O. 95(E).—In exercise of powers conferred by sub-section (1) of section 3A of the National Highways Act, 1956 (48 of 1956) (hereinafter referred to as the said Act), the Central Government, after being satisfied that for the public purpose, the land, the brief description of which is given in the Schedule below, is required for building (widening/two lane with paved shoulder/four laning etc.), maintenance, management and operation of National Highway No. 158 (Ras-Beawar-Asind-Mandal Section) from km. 0.000 to 19.400 in the District of Pali in the State of Rajasthan, hereby declares its intention to acquire such land.

Any person interested in the said land may, within twenty-one days from the date of publication of this notification in the Official Gazette, object to the use of such land for the aforesaid purpose under sub-section (1) of section 3C of the said Act.

Every such objection shall be made to the Competent Authority, namely, Sub Divisional Officer in writing and shall set out the grounds thereof and the Competent Authority shall give the objector an opportunity of being heard, either in person or by a legal practitioner, and may, after hearing all such objections and after making such further enquiry, if any, as the Competent Authority thinks necessary, by order, either allow or disallow the objections.

Any order made by the Competent Authority under sub-section (2) of section 3C of the said Act shall be final.

The land plans and other details of the land to be acquired under their notification are available and can be inspected by the interested person at the aforesaid office of the Competent Authority.

SCHEDULE

Brief Description of the land to be acquired with or without structures falling National Highway No. 158 (Ras-Beawar-Asind-Mandal Section) from km. 0.000 to 19.400 in the District of Pali in the State of Rajasthan.

State: RAJASTHAN		District: PALI			
Sl. No.	Survey / Plot Number	Type of Land	Nature of Land	Area (in Local Unit)	Area (in Hectare)
Taluk: Jaitaran					
Village: Bagatpura					
1	2365	Private	Barani Awwal	0.0749000(Hectare)	0.0749000
2	2365/1	Government	Gu. Mu. sadak	0.1632000(Hectare)	0.1632000
3	2366/2	Private	Barani Awwal	0.1188000(Hectare)	0.1188000
4	2367	Private	Barani Doyam	0.0769000(Hectare)	0.0769000
5	2367 /2	Government	Gu. Mu. sadak	0.0808000(Hectare)	0.0808000
6	2371	Private	Barani Doyam	0.0462000(Hectare)	0.0462000
7	2371 / 1	Government	Ge.Mu.	0.0044000(Hectare)	0.0044000
8	2371 / 3	Government	Gu.Mu.Sadak	0.0788000(Hectare)	0.0788000
9	2372 / 1	Government	Gu.Mu.Sadak	0.0756000(Hectare)	0.0756000
10	2372 / 2	Government	Ge.Mu.	0.0067000(Hectare)	0.0067000
11	2424	Government	Ge.Mu.Bhakhar	0.4475000(Hectare)	0.4475000
12	2449	Government	Ge.Mu.Gauvchar	0.2853000(Hectare)	0.2853000
13	2451	Government	Ge.Mu.Abadi	0.0480000(Hectare)	0.0480000
14	2452	Government	Ge.Mu.Kakar	0.0704000(Hectare)	0.0704000
15	2464	Private	Chahi Soyam	0.0013000(Hectare)	0.0013000
16	2466	Private	Barani Awwal	0.0923000(Hectare)	0.0923000
17	2587	Government	Gu.Mu. Gua	0.1827000(Hectare)	0.1827000
Village: Ras					
1	1557	Private	Barani Avval	0.0422000(Hectare)	0.0422000
2	1610	Private	Chahi Partham	0.2068000(Hectare)	0.2068000
3	1611	Private	Chahi Pratham	0.1050000(Hectare)	0.1050000
Total				2.2078	2.2078

[F. No. RW/NH/12012/11/2017/PS-4/RJ/3A7]

RAJESH GUPTA, Dy. Secy.